उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग–1

संख्या–2418 / 96–आयुष–1–2020–66 / 2011

लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2020

विशेष सचिव / अध्यक्ष,
काउन्सिलिंग कमेटी, (नियुक्ति / तैनाती)
नव चयनित आयुर्वेद / होम्योपैथ चिकित्साधिकारी,
आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश।

आयुष विभाग के अन्तर्गत 521 आयुर्वेद एवं 596 होम्योपैथ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति / तैनाती मेरिट बेस्ड पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से नवचयनित आयुर्वेद / होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों की प्रथम नियुक्ति / तैनाती किये जाने हेतु आपकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि **दिनांक 25.07.2020 से दिनांक 28.07.2020 (प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 28.07.2020 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक)** आयोजित होने वाली आनलाइन काउन्सिलिंग में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए प्रकिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें :–

1. नवचयनित चिकित्साधिकारियों में से कतिपय चिकित्साधिकारी दिव्यांग श्रेणी के भी हो सकते हैं। शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में दिव्यांगजन को यथासम्भव गृह जनपद अथवा गृह जनपद के आस–पास नियुक्त / तैनात किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में काउंसिलिंग के समय नवचयनित आयुर्वेद / होम्योपैथ चिकित्साधिकारियों में से जो दिव्यांग श्रेणी में हो, को यथासंभव उनके गृह जनपद अथवा गृह जनपद के आस–पास नियुक्त / तैनात किया जाय।
2. इसके अतिरिक्त विचारणीय है कि काउन्सिलिंग के समय यदि कोई अभ्यर्थी दाम्पत्य नीति से आच्छादित है, तो ऐसी स्थिति में पति–पत्नी को (यथास्थिति) नियमानुसार यथासंभव एक ही जनपद अथवा आस–पास के जनपद में नियुक्ति / तैनात किये जाने पर विचार किया।
3. इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि काउन्सिलिंग में नवचयनित आयुर्वेद / होम्योपैथ चिकित्साधिकारियों को यदि उनका गृह जनपद उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी जनपदों यथा चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर में है और वे अपने गृह जनपद में तैनाती का विकल्प देते है, उस स्थिति में उनके द्वारा वांछित विकल्प पर यथासंभव वरीयता प्रदान की जाय।

( शैलेन्द्र कुमार )
संयुक्त सचिव।

संख्या–2718(1) / 96–आयुष–1–2020, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन

2– निजी सचिव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।